झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/206/2018 .... राँची, दिनांक–............................

प्रेषक:

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल जामताड़ा अंतर्गत जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में हदलजोरी जोरिया श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के चेकडैम सं0–2 के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 21.730 लाख (रूपये इक्कीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल जामताड़ा अंतर्गत जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में हदलजोरी जोरिया श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के चेकडैम सं0–2 के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 21.730 लाख (रूपये इक्कीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

3. इस योजना के जीर्णोद्धार कार्य की कुल लागत राशि रू॰ 21.730 लाख है। उक्त योजना के जीर्णोद्धार के उपरांत कुल 25 हे0 क्षेत्र में सिचंन क्षमता पुनर्जीवित होगी। वर्त्तमान में इस योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वीकृत प्रस्ताव का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 86920/–प्रति हेक्टेयर आकलित है।

4. विचाराधीन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की गयी है–

(क) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ख) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(ग) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(घ) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(ङ) यदि योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है तो योजना का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा।

(च) स्वीकृत योजना के जीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(छ) उपरोक्त कंडिका '4' (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. स्वीकृत प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत भारित होगा।

6. इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जाएगा।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका होंगे।

8. स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/206/2018 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/206/2018 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/206/2018 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल देवघर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/206/2018 .... राँची, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 206 / 2018 .... राँची, दिनांक–.............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 206 / 2018 02/18-19 प्र॰स्था॰ **राँची, दिनांक–** 20.04.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

20/04/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)